संख्या: 46/2022/1638-ई-2/तेरह-2022-1660217

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊः**
दिनांकः सितम्बर, 2022

विषय: मेसर्स के.डी. सॉल्यूशन प्रा. लि., खसरा नं.:1337, 5वॉ कि.मी., मेरठ रोड, जिला मुजफ्फरनगर को 54,446 लीटर वार्षिक क्षमता की वाइन उत्पादन हेतु द्राक्षासवनी स्थापित किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: जी-224/दो-प्रा.डी.-254/के.डी, दिनांक 21-09-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त वाइनरीज़ के माध्यम से राज्य के फल उत्पादकों का विकास किये जाने, राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार के संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स के.डी. सॉल्यूशन प्रा. लि., खसरा नं.:1337, 5वॉ कि.मी., मेरठ रोड, जिला मुजफ्फरनगर को उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 के क्रम में 155.56 लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 54,446 (चौवन हजार चार सौ छियालिस) लीटर वार्षिक क्षमता की द्राक्षासवनी स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(i) उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 में उल्लिखित शर्तें।

(ii) समय-समय पर शासन द्वारा आबकारी नीति में निर्धारित निर्देश।

(iii) इकाई द्वारा द्राक्षासवनी चलाये जाने से पूर्व नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) इकाई द्वारा द्राक्षासवनी चलाये जाने से पूर्व नियमानुसार अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(v) इकाई द्वारा द्राक्षासवनी चलाये जाने से पूर्व नियमानुसार अन्य संबंधित विभागों से सुसंगत अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति / अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(vi) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) अनुज्ञापन निर्गत करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई के निदेशकों पर राजस्व का कोई बकाया न हो।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 46/2022/1638(1)-ई-2/तेरह-2022-1660217, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, उ.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ.प्र. शासन।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।